


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है-

क्र.सं.	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	कहाँ से राउमावि/राबाउमावि	जिला	कहाँ को राउमावि/राबाउमावि	जिला
1	MUKESH CHAND MEENA	GOVT. SR. SEC. SCHOOL BARAULI	DHAULPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NARAULI DANG	KARAULI
2	MUNSHI LAL MEENA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NARAULI DANG	KARAULI	Govt. Senior Secondary School DHINDORA, HINDAUN	KARAULI
3	KAMODINI DADHICH	UNDER TRANSFER FROM GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL, KERUJODHPUR to GOVERNMENT LAXMINARAYAN TAPDIYA A SENIOR SECONDARY SCHOOL SANDWA	CHURU	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL, KERU	JODHPUR
4	JAGDISH PRASAD	GOVT. SR. SEC. SCHOOL SARMATHURA	DHAULPUR	GOVT. SR. SEC. SCHOOL BASERI	DHAULPUR
5	MAHENDRA SINGH MEENA	GOVT. SR. SEC. SCHOOL BASERI	DHAULPUR	GOVT. SR. SEC. SCHOOL SARMATHURA	DHAULPUR
6	ANJU SHRIVASTAVA	GOVT GIRLS SEN. SEC. SCHOOL MALVIYA NAGAR. JAIPUR EAST	JAIPUR	GOVT. SR. SEC. SCHOOL, MURLIPURA SCHEME, JAIPUR	JAIPUR
7	Ram Avtar Sharma	GOVT. SR. SEC. SCHOOL, MURLIPURA SCHEME, JAIPUR	JAIPUR	GOVT GIRLS SEN. SEC. SCHOOL MALVIYA NAGAR. JAIPUR EAST	JAIPUR
8	Vinita Jangir	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LANGAR BAS, BLOCK KISHANGARHBAS, ALWAR, LANGAD BAS, LANGAR BAS (216323)	ALWAR	GOVERNMENT HIGH SECONDARY SCHOOL HARSANA, LAKSHMANGARH	ALWAR
9	HARJEE RAM	SANGHAVI LEHARIDEVI LADHMALMARDIYA jain GOVT. A SR SEC SCH. CHITALWANA	JALOR	GOVT. SR. SEC. SCHOOL SESAVA, CHITALWANA	JALOR

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्रम संख्या 02 एवं 07 पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा। जिन कार्मिकों का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/ निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावे। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।



(नथमल डिलेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:—प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक—स्कूल शिक्षा / जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक नियमानुसार कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति दें।
- 5 तत्काल अद्यतन करावें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।
- 6 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण की सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- 7 सम्बन्धित कार्मिक
- 8 रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर